

विशेष जानकारी

21/11/2024

पीएच.डी./एम.फिल/ करने हेतु क्या कार्यवाही करनी होगी, मुख्य बिंदु :-

शैक्षणिक गुणावता के स्तर में वृद्धि शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों, मंत्रालयिक को शोध कार्य हेतु विभाग दावा, NOC/अनुज्ञा दी जाती है

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से वैध पाठ्यक्रम हेतु *अनापत्ति अनुज्ञा* दी प्रदान की जाती है।
2. प्रोबेशन काल में कार्यरत कार्मिकों को NOC/अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
3. प्रोबेशन काल में कार्यरत कार्मिक नियुक्ति से पहली से ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रवेश परीक्षा/इंटरव्यू/कोर्स वर्क की परीक्षा उत्तीर्ण की जा चुकी है तो उनके लिए Noc/अनुज्ञा पर विचार किया जा सकता है।
4. कार्मिक को परिशिष्ट- 1 में आवेदन करना होगा।
5. परिशिष्ट - 2 में परीक्षा हेतु *अनापत्ति प्रमाण पत्र* कार्मिक के पदस्थापन स्थान के कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी की जाएगा।
5. शोध कार्य, (एम. फील / पीएच.डी., डी.लिट/डी.एससी) *अनुज्ञा* नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। जैसे - अध्यापक की DEO, वरिष्ठ अध्यापक की JD व्याख्याता वह ऊपर के पदों के लिए निदेशालय से होगी। जो परिशिष्ट - 3 में अनुज्ञा जारी की जायेगी।
6. अनुज्ञा शर्तों के अधीन जारी की जाएगी।

नरेंद्र सिंह सालासर

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

DEO (HQ) SEC CHURU

PM INFO ADMIN

